

 झारखण्ड अधिविद्या परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2016 के क्रॉस लिस्ट, अंक पत्रक आदि के वितरण एवं
प्रमाण पत्रों में हुए त्रुटि संशोधन एवं पुनरीक्षण से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 25/2016

एतद् द्वारा सभी छात्र/छात्राओं, अधिभावकों, विद्यालय प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2016 का क्रॉस लिस्ट, अंक पत्रक, अपवाहिक प्रमाण पत्र एवं प्रदर्शन प्रमाण पत्र संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से दिनांक 02.06.2016 से वितरित किया जाएगा, जिसे विद्यालय प्रधान द्वारा स्वयं अथवा अधिकृत ढूत के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

(2) जिन छात्रों के अंक पत्रक आदि में नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, सूचीकरण संख्या, आदि में त्रुटि हो तो ऐसे छात्र अपना आवेदन (पंजीयन स्तरीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की स्वअधिग्राहित छात्रा प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में दिनांक 29.06.2016 तक संबंधित प्रधानाध्यापक सभी आवेदनों को सूचीबद्ध कर अग्रसरित करते हुए परिषद् कार्यालय में दिनांक 29.06.2016 तक अवश्य ही जमा करें। इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क ₹400/- (चार सौ रुपये) के साथ आवेदन स्वीकार किये जायें।

(3) अंक पत्रक/सार्वाध्यक्षण पंजी (Tabulation Register) में किसी भी प्रकार की अभ्युक्त यथा Invalid, Withheld, Incomplete, Absent है तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रसरित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन स्तरीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की स्वअधिग्राहित छात्रा प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में दिनांक 29.06.2016 तक किसी भी कार्य टिक्स को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2016 के छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्कूलटीके लिए विद्यालय प्रधान के द्वारा इस अधार का प्रमाणक के साथ कि “वे संतुष्ट हैं कि स्कूलटीके लिए मजबूत एवं समुचित आधार हैं” अपना आवेदन पत्र अंक पत्र की छात्रा प्रति के साथ अग्रसरित कराकर दिनांक 24.06.2016 से 05.07.2016 तक झारखण्ड अधिविद्या परिषद् कार्यालय, राँची, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमणडलीय कार्यालय, मेंदिनांगर में जमा करें।

प्रयेक सेंट्रालिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क 150/- (एक सौ पचास) रुपये होगा। अधिकतम तीन विषयों का पुनरीक्षण अनुमात्र्य है। शुल्क की राशि का बैंक ड्राफ्ट “झारखण्ड एकेडमिक कॉमिटी फण्ड, राँची” के नाम से देय एवं भुगतेय, संथाल परगना प्रमणडल के लिए “झारखण्ड एकेडमिक कॉमिटी फण्ड, दुमका” के नाम से देय एवं भुगतेय तथा पलामू प्रमणडल के लिए “झारखण्ड एकेडमिक कॉमिटी फण्ड, डालटनगंज” के नाम से देय एवं भुगतेय होगा। आवेदन के साथ अंक-पत्र की छात्राप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

1. स्कूलटी में निम्न विन्दुओं पर विचार किया जायेगा:-

- (क) अंदर के पृष्ठ में आवंटित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तब उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करने हुए योग में सुधार किया जायेगा।
- (ख) अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जायेगा।
- (ग) अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जायेगा।
- 2. स्कूलटी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्कूलटी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है जिससे अंक बृद्धि की संभावना कम रहती है। अतः व वार्षिक परीक्षा-2016 के अनुर्तीण छात्रों को राय दी जाती है कि स्कूलटी के फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना संपूर्ण (Compartmental) परीक्षा-2016 अथवा वार्षिक परीक्षा-2017 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं।
- 3. निर्धारित तिथि को 5:00 बजे अपराह्न के बात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही बिना शुल्क के अथवा बिना विद्यालय प्रधान के अग्रसरण एवं अनुशंसा या बिना अंक पत्र की छात्रा प्रति के स्कूलटी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 4. निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक द्वारा भेजे गए स्कूलटी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(मोहन चाँद मुक्ति)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्या परिषद्, राँची।

JAC/मा./5383/SECY/182/16
Dt. 26.05.2016
D.O.P- 27.05.2016